संख्या-02/2026/001-90-81-7-2026

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव.
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुपूरक बजट के रूप में अनुदान संख्या-45 के अन्तर्गत निम्नांकित मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-1006/पर्या०/लेखा/बजट/सूचना/2025, दिनांक 28 जनवरी, 2026 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०पी०कैम्प अथॉरिटी, लखनऊ के पत्र संख्या 64/यू०पी०कैम्प०/सा०/2026, दिनांक 18.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुपूरक बजट के रूप में अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक-3435-पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रक-103-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण-03-उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 324.30 लाख (रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख तीस हजार मात्र) में से रु० 186.15 लाख (रूपये एक करोड़ छियासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं स्वीकृत धनराशि को उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट अथॉरिटी द्वारा इण्डियन बैंक में खोले गए बचत खाते में हस्तांतरित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उ०प्र० बजट मैनुअल / वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी / विभाग की पूर्वानुमति / सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, तो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः नियमानुसार प्राप्त किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त वित्तीय नियमों / शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए है, इसका व्यय नई मदों / सेवाओं पर कदापि न किया जाय।

4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य / मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यों की दिवरावृत्ति नहीं हो रही है।

5- इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट अथॉरिटी, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-1006/पर्या०/लेखा/बजट/सूचना/2025, दिनांक 28.01.2026 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट अथॉरिटी, लखनऊ के पत्र संख्या 64/यू०पी० कैम्प०/सा०/2026, दिनांक 18.02.2026 में उपलब्ध करायी गयी सूचना विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार की आंकिक त्रुटि हेतु निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट अथॉरिटी, लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026 में उल्लिखित शर्तों प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी योजना / स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

9- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रश्नगत धनराशि संबंधी मदों, विषयों, नियमों इत्यादि की पुष्टता का दायित्व निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० का होगा तथा इसे सुनिश्चित भी किया जाय।

12- प्रश्नगत धनराशि का आवश्यकतानुसार ट्रेजरी अकाउंट हेड से आहरण किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 69,00,000 (रुपये उनहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 045 लेखा शीर्षक 3435041030300 उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट **मानक मद 20** सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) (2) रुपये 1,17,15,000 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 045** लेखा शीर्षक 3435041030300 उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट **मानक मद 31** सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चिरौंजी लाल
संयुक्त सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- स्टेट स्कीम मैनेजर (श्रीमती नीरजा सक्सेना, विशेष सचिव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट अथॉरिटी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in